न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 99/2022 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2022/124**

1. शिव कुमार पुत्र मनफुलराम जाति बिश्नोई निवासी चक 35 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. नाथी देवी पत्नी मनफुलराम जाति बिश्नोई निवासी चक 35 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. जगदीश पुत्र मनफुलराम जाति बिश्नोई निवासी चक 35 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. सलोचना पुत्री मनफुलराम पत्नी जगदीश जाति बिश्नोई निवासी चक 3 आईएसडब्ल्यू(सतजण्डा) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. सीमा देवी पुत्री मनफुलराम पत्नी सतपाल जाति बिश्नोई निवासी चक 3 आईएसडब्ल्यू(सतजण्डा) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. सुमित्रा देवी पुत्री मनफुलराम पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 5 जेकेएम ढाणी बाजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. दुर्गा देवी पुत्री मनफुलराम पत्नी साहबराम जाति बिश्नोई निवासी 5 जेकेएम ढाणी बाजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. विमला पुत्री मनफुलराम पत्नी राजेन्द्र जाति बिश्नोई गांव मनेवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

(शिव कुमार स्वयं एवं शेष सभी का मुख्त्यारनामा आम दिनांक 29.01.2013 से नियुक्त है।)

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रवीण कुमार पुत्र प्रेमकुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 35 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट्स श्री राजेश बैद

निर्णय

दिनांक 09.01.2026

यह अपील राजरथान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर(प्रशा), श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.03.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट्स के पिता मनफुलराम द्वारा अरथाई काश्त के आधार पर 25 बीघा भूमि के पुख्ता आवंटन के लिए आवंदन किया। चक 16 एस.ए.डी में मुरब्बा नंबर 198/343 की कुल 18 बीघा भूमि बतोर अराजीकाश्त पर सम्वत् 2028 में आवंटन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हुई। तत्पश्चात दिनांक 16.03.1974 को उक्त भूमि में से 15 बीघा भूमि का स्थाई आवंटन हुई तथा 3 बीघा भूमि रकबाराज घोषित कर दी गई। उक्त 3 बीघा भूमि की निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई जिसे खारिज कर दी गई थी उसके विरूद्ध अपीलांट के पिता ने उच्च न्यायालय में रिट पेश की जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर 3 बीघा भूमि अपीलांट के पिता की मान कर रिट स्वीकार कर ली। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि के अलावा अपीलांट के पिता मनफुलराम को अपने माता पिता से 9.18 बीघा भूमि प्राप्त हुई एवं चक 35 में 4.13 बीघा भूमि मनफुलराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 20.07.1992 को मुरब्बा नंबर 198/343 में किला नंबर 1 ता 7 कुल 7 बीघा भूमि कमाण्ड भूमि आवंटन अपीलांट के पिता मनफुलराम को आवंटन की गई। प्रवीण कुमार ने आवंटन के विरूद्ध अपीलांट ने धारा 11–14 राजस्थान उपनिवशन अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारा 11–14 के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अपीलांट के पिता मनफुलराम को तत्समय उसकी आवंटन सीमा तक पात्रता के हिसाब से वक्त आवंटन 4.13 बीघा नहरी भूमि अधिक आवंटन होना पाया जाने से उसकी फलावट मुताबिक भूमि की किस्म अनुरूप गणना कर 4.13 बीघा नहरी भूमि बहक सरकार रिज्यूम किये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.03.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पिता को चक 16 एसएडी के मुरब्बा नंबर 198/343 में 18 बीघा भूमि बतौर अराजीकाश्त पर सम्वत् 2028 में आवंटन हुआ। तत्पश्चात दिनांक 16.03.1974 को उक्त भूमि में सें 15 बीघा भूमि का स्थाई आवंटन किया गया तथा 3 बीघा भूमि रकवाराज घोषित कर दी जो तत्कालीन पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार स्व. मनफुलराम के माता–पिता से प्राप्त 9.17 बीघा व 3 बीघा स्वयं की मानकर अराजीराज की गई। जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई जो दिनांक 27.06.1984 को स्वीकार की गई तथा 3 बीघा भूमि का आवंटन बहाल कर दिया गया। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार जो 9.17 बीघा भूमि माता–पिता से प्राप्त होना अंकित किया है, वह भूमि पुश्तैनी ना होकर माता–पिता की स्वयंअर्जित सम्पति थी। इसी कारण भूमि में स्व. मनफुलराम का जन्म से हक व हिस्सा नहीं थी। इसी कारण भूमि आवंटन आवेदन पत्र में उक्त भूमि को दर्शाया नही गया। स्व. मनफुलराम द्वारा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कथनों से संबंधित दस्तीवेजी साक्ष्यों पर गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। उक्त प्रकरण में राजस्व मण्डल ने दिनांक 27.06.1984 को 3 बीघा एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से रिमाण्ड प्रकरण में पूर्ण जांच कर तत्कालीन आवंटन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 20.07.1992 को 7 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। इस प्रकार दोनों आवंटन पश्चातवृति आवंटन है जिन्हें मूल आवंटन के साथ जोडकर ही गणना की गई है। तत्पश्चात किसी प्रकार की कोई भूमि स्व. मनफुलराम के नाम से उक्त मूल आवंटन के संदर्भ में नही आई हैं अर्थात जहां प्रकरण उच्चतर न्यायालयों द्वारा विचारित किया जा चुका है तथा भूमि आवंटन के आदेश प्रदान किया गये है, वहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लघंन किया जाकर आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानूनी रूप से दूषित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी पहलू पर गौर नहीं किया कि उनके समक्ष स्व. मनफुलराम के मूल आवंटन जो चक 16 एसएडी का मुरब्बा नंबर 27 27 पत्थर नं. 198/343 का किला नंबर 8 ता 17 में 7 बीघा, किला नंबर 17 ता 24 में 8 बीघा कुल 15 बीघा के संबंध में शिकायत हुई थी। उसी की जांच करनी थी। शेष भूमि भिन्न–भिन्न आदेशों से प्रार्थी की सिंलिग सीमा देखते हुए उच्चतर न्यायालयों के आदेशों से रिमाण्ड प्रकरणों में तथा इसी मुरब्बा नंबर में किला नंबर 15, 16 व 25 में 3 बीघा दिनांक 16.10.1997 को स्मालपेंच में आवंटन हुई हैं जिसको वह प्राप्त करने का अधिकारी हैं उक्त भूमि मूल आवंटन के साथ शामिल नही की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल आवंटन की जांच करने की बजाय प्रार्थी की सिंलिग सीमा की गणना मनमान व स्वेच्छाचारी तरीके से करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जिसका उन्हे क्षेत्राधिकार नही था। अपीलांट अपनी वादगत भूमि पर शान्तिपूर्ण तरिके से पिछले 40 वर्षो से काबिज है। वादगत भूमि में अपीलांट ने स्थाई ढाणी बना रखी है। मौके पर फसल खड़ी हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील के जरिये 4.13 वीघा भूमि को सिंलिग से अधिक मानते हुए रिज्यूम करने के आदेश दिये है लेकिन उक्त भूमि कौनसी होगी, यह स्पष्ट नहीं है। आदेश जैर अपील स्पींकिग आदेश की तारिफ में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील दिनांक 04.03.2021 को निरस्त फरमाया जावें। अन्य न्यायोचित अनुतोष जो उचित और व्यवहारिक हो अपीलांट्स को दिलाया जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पिता मनफुलराम को तत्समय उसकी आवंटन सीमा तक पात्रता के हिसाब से वक्त आवंटन 4.13 बीघा नहरी भूमि अधिक आवंटन होने पर 4.13 बीघा नहरी भूमि बहक सरकार रिज्यूम किये जाने के आदेश पारित किये, अपीलांट के पिता स्व. मनफुन को दिनांक 16.03.1974 स्थाई आवंटन द्वारा चक 16 एसएडी का मुरब्बा नं. 27 पत्थर नंबर 198/343 का किला नंबर 8 ता 14 में 7 बीघा, किला नंबर 17 ता 24 में 8 बीघा कुल 15 बीघा आवंटीत हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस 7 बीघा भूमि को कुल 29.13 बीघा में शामिल माना है उसका आवंटन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.08. 1991 की पालना में दिनांक 20.07.1992 को आवंटीत हुई। चक 16 एसएडी का मुरब्बा नं. 27 में किला नंबर 15, 16 व 25 में 3 बीघा भूमि दिनांक 16.10.1997 को आवंटन हुई। सैटलमेंट से प्राप्त रिकोर्ड में चक 35 एन.पी के मुरब्बा नंबर 25 में 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि अपीलांट के नाम दर्ज बताई है परन्तु मूल आवंटन के समय उक्त 4.13 भूमि अपीलांट के पिता का कब्जा नहीं था इस भूमि पर रिसीवर नियुक्त था, इस कारण पटवारी रिपोर्ट में शामिल नही की गई। इस प्रकार जब मूल आवंटन दिनांक 16.03.1974 को हुआ तक उक्त 7 बीघा भूमि एवं 3 बीघा भूमि अपीलांट के पिता नाम रिकॉर्ड में दर्ज नही थी तो अपीलांट के पिता को कुल आवंटन भूमि की पात्रता में तत्समय शामिल नही किया जा सकता। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2021 उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2021 निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर